शहरी रोजगार योजना: प्रस्ताव का मसौदा [1]

ज्याँ द्रेज़ [2]

31 अगस्त 2020 (मूल अंग्रेजी उपस्थापन 29 अगस्त 2020)

संक्षेप: यह नोट शहरी क्षेत्रों में एक सब्सिडी वाले लोक रोजगार की सरल योजना का प्रस्ताव रखती है ।

संदर्भ

1. शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार का संकट है, आवधिक लॉकडाउन के कारण लाखों कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है, वे अपनी नौकरी पुनः प्राप्त कर सकेंगे या नहीं, इस बात को लेकर भी अनिश्चितता है ।

2. हमारे सार्वजनिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य केंद्र, बस स्टैंड, जेल, आश्रय स्थल, छात्रावास, पार्क, संग्रहालय, कार्यालय, आदि) के खराब रखरखाव की पुरानी समस्या है।

3. चूंकि सार्वजनिक संस्थान महीनों के लॉकडाउन के बाद फिर से खुलेंगे, इसलिए परिसर को बहाल करने के लिए बहुत सारे कामों की आवश्यकता होगी (सफाई, सैनेटाईजिंग, पुताई, निराई, मरम्मत, पेंटिंग, नलसाजी, आदि)।

4. लोगों की रोजगार गारंटी अधिनियम में रुचि बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में राहत उपायों पर कम ही काम हुआ है। प्रस्तावित योजना शहरी रोजगार गारंटी की दिशा में एक शुरूआती कदम के रूप में कार्य कर सकता है।

मूल विचार

5. राज्य सरकार "जॉब स्टाम्प" जारी करेगी और उन्हें अनुमोदित संस्थानों - स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी विभागों, स्वास्थ्य केंद्रों, नगरपालिकाओं, पड़ोस संघों, यूएलबी आदि को वितरित करेगी। शुरुआत में, अनुमोदित संस्थान सार्वजनिक संस्थान होंगे (निजी गैर-लाभकारी संस्थानों पर बाद में विचार किया जा सकता है)।

6. अनुमोदित संस्था के द्वारा काम की व्यवस्था और सरकार द्वारा मजदूरी (वैधानिक न्यूनतम) भुगतान के साथ प्रत्येक जॉब स्टांप को एक निर्धारित अवधि के भीतर एक व्यक्ति-दिवस के काम में परिवर्तित किया जा सकता है। इसके साथ ही जॉब स्टाम्प और नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को एक कार्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मजदूरी का भुगतान सीधे श्रमिकों के खाते में किया जा सकेगा।

[1] इस हिंदी संस्करण का अनुवाद पियूष फोजान एवं समीक्षा विपुल कुमार पैकरा द्वारा किया गया है । इस नीतिका संक्षेप के विचार लेखक के अपने हैं नबकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का या लेखक के संबद्ध संस्थानों के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते । सामान्य अस्वीकरण लागू ।

[2] ज्याँ द्रेज़ रांची विस्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में अतिथि प्राध्यापक हैं ।

7. श्रमिकों को अनुमोदित नियोक्ता द्वारा पंजीकृत श्रमिकों के एक पूल से चुना जाना है, या, शायद बेहतर यह होगा कि (मिलीभगत से बचने के लिए), एक स्वतंत्र "प्लेसमेंट एजेंसी" द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को चुना जाए – नीचे देखें।

तर्क

8. अनुमोदित नियोक्ताओं की बहुलता को सक्रिय करने से बहुत अधिक रोजगार पैदा करने में मदद मिलेगी।

9. अनुमोदित नियोक्ताओं की यह सुनिश्चित करने में हिस्सेदारी होगी कि काम प्रभावी/सार्थक/उत्पादक हो।

10. इस योजना के संचालन लिए कुछ ही कर्मचारियों की आवश्यकता होगी क्योंकि मौजूदा संस्थाएं ही नियोक्ता होंगी।

11. श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का समय पर भुगतान करने और संभवतः अन्य लाभ का भी आश्वासन दिया जा सकेगा।

आगे की संभावनाएं

12. दुरूपयोग से बचने के लिए, जॉब स्टाम्प का उपयोग जायज़ कार्यों की एक सूची तक ही सीमित किया जा सकता है। लेकिन सूची काफी व्यापक होनी चाहिए, और रखरखाव तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।[3]

13. कार्यों की सूची इतनी व्यापक नहीं होनी चाहिए कि सार्वजनिक संस्थानों में मौजूदा नौकरियों को विस्थापित किया जा सके।

14. सभी ड्यूट रोजगार योजना मौजूदा श्रम कानूनों में निर्दिष्ट कामगार सुरक्षा और कल्याण मानदंडों के अधीन होनी चाहिए।

15. 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी शहरी निवासियों को ड्यूट के तहत पंजीकरण करने के लिए योग्य होने चाहिए, लेकिन विशेष पंजीकरण अभियान या प्लेसमेंट एजेंसियां कम आय वाले इलाकों में स्थित हो सकती हैं।

16. इस योजना में कुशल (skilled)और अकुशल (unskilled) दोनों तरह के कामगार शामिल होंगे। जब भी किसी कुशल कामगार को नियोजित किया जाता है, तो इस योजना में प्रशिक्षण और कौशल निर्माण का तत्व प्रदान करने के लिए एक सहायक (अकुशल) कामगार को अनिवार्य रूप से नियोजित किया जा सकता है। समय के साथ आगे प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास या पता लगाया जा सकता है, उदाहरण के लिए कुछ गैर-लाभकारी प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा, यदि कोई हो।

17. कुछ साझा-लागत की व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है, जिसके तहत अनुमोदित नियोक्ता मजदूरी का एक छोटा सा हिस्से का भुगतान करेंगे, या निःशुल्क जॉब स्टाम्प की जगह उन जॉब स्टाम्प के लिए भुगतान करेंगे। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि काम प्रभावी/उत्पादक हो। हालांकि इससे रोजगार

[3] एक संभावित सूची के तत्वों यहाँ पर देखा जा सकता है- https://cse.azimpremjiuniversity.edu.in/wp-content/uploads/2019/04/SWI2019_Urban_Job_Guarantee.pdf (इस नोट के लिए एक उपयोगी पूरक)

सृजन में कमी आएगी। इसके अलावा, साझा-लागत की व्यवस्था जटिल है, शायद शुरूआत में इससे बचा जाना ही बेहतर होगा।

18. सार्वजनिक संस्थानों के बीच जॉब स्टाम्प के आवंटन के लिए सरल मानदंडों की आवश्यकता होगी। *इन संस्थानों के बीच* जॉब स्टाम्प केकुछ सीमित हस्तांतरण पर विचार किया जा सकता है।

19. कार्यों की निगरानी, निरीक्षण, लेखा-परीक्षा और मूल्यांकन के लिए नगरपालिका स्तर पर एक स्वतंत्र प्राधिकरण नियुक्त या नामित किया जा सकता है।

20. राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) भी संभवतः ड्यूट में भूमिका निभा सकता है।

21. ड्यूट को आसानी से किसी एक विशेष जिले या यहां तक कि नगर पालिका में एक परीक्षण के तौर पर शुरू किया जा सकता है।

प्लेसमेंट एजेंसी

22. प्लेसमेंट एजेंसी की प्राथमिक भूमिका, जब भी आवश्यकता हो, पंजीकृत कामगारों को अनुमोदित नियोक्ताओं को आवंटित करना है। लेकिन प्लेसमेंट एजेंसी अन्य प्रयोजनों को भी पूरा कर सकती है, जैसे कि श्रमिकों के कौशल (skills) को प्रमाणित करना, श्रमिकों को शोषण से बचाना और उनके लिए सामाजिक लाभों की व्यवस्था करना।

23. प्लेसमेंट एजेंसी के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा सकता है, जैसे: (1) स्थानीय सरकार द्वारा संचालित, नगरपालिका के लिए एक एकल एजेंसी; (2) एक श्रमिक/कामगार सहकारी/कोऑपरेटिव; (3) कई प्लेसमेंट एजेंसियां, जो गैर-लाभकारी संगठनों या सहकारी समितियों के रूप में चलती हैं।

सम्बंधित अनुभव

24. कुछ देशों में इसी तरह की सब्सिडी आधारित रोजगार योजनाएं हैं, जैसे: कई यूरोपीय देशों में "सेवा वाउचर योजनाएं" (एसवीएस)। बेल्जियम में सफाई और इस्त्री जैसी घरेलू सेवाओं के लिए "सेवा वाउचर योजनाएं" (एसवीएस) बहुत लोकप्रिय है। इस योजना का इस्तेमाल 2016 में 5 में से 1 घरों ने किया था।

रोजगार गारंटी की ओर

25. मांग-आधारित "रोजगार गारंटी" की ओर ड्यूट से आगे बढ़ना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसके लिए नगर पालिका को एक अंतिम उपाय नियोक्ता (last-resort employer) के रूप में कार्य करने की आवश्यकता होगी, जो उन श्रमिकों को काम प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हो जो काम की मांग कर रहे हों लेकिन जिन्हें अन्य अनुमोदित नियोक्ताओं से कोई भी काम नहीं मिल रहा है। वैकल्पिक रूप से, ड्यूट शहरी क्षेत्रों में एक बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रम का हिस्सा बन सकता है।

-0-X-0-

यह नबकृष्ण चौधरी सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज का किसी भी नीतिका संक्षेप का पहला हिंदी संस्करण है ।

This is the twelfth NCDS policy brief in the COVID-19 series and the second on re-purposing economy. The other eleven have been on analysis of cases across countries and provinces of China (PB12NCDS, 20 March 2020), on behavioural biases that could lead to panic like asking health care professionals to leave rented premises (PB13NCDS, 25 March 2020), on strengthening COVID hospitals and concerns of community transmission in Odisha (PB14NCDS, 28 March 2020), କୋଭିଡ-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା (PB15NCDS, 7 April 2020), which is an Odia translation of "Maintaining a healthy diet during COVID-19 pandemic" prepared by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, a cross-country analysis of positive cases and testing (PB16NCDS, 11 April 2020), frequently asked questions on rapid antibody test (PB17NCDS, 20 April 2020; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB17aNCDS, 23 April 2020), on movement of migrant labourers (PB18NCDS, 27 April 2020; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB18aNCDS, 3 May 2020), on implications for malaria (PB19NCDS, 15 May 2020; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB19aNCDS, 28 May 2020), on କୋଭିଡ-୧୯ର ମୁକାବିଲା: ଖୋରାକ, ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ ସୁକ୍ଷ୍ମପୁଷ୍ଟିସାର (ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ)ର ୧୦ ଦଫା ସମ୍ବଳିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ (PB20NCDS, 25 May2020) which is translation of a 10-pointer on diet and nutrition from NNEdPro, Cambridge), on dos and don'ts for media (PB21NCDS, 16 June 2020; ଯାହାର ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କରଣ, PB21aNCDS, 26 June 2020) and on life and livelihood as key to a post-pandemic economy (PB22NCDS, 16 June 2020).

-0-X-0-

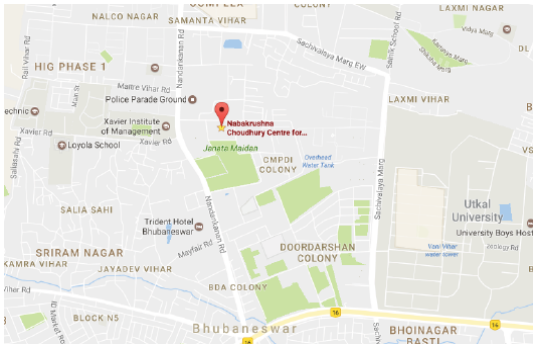

Nabakrushna Choudhury Centre for Development Studies (NCDS)
(an Indian Council of Social Science Research (ICSSR) institute
in collaboration with Government of Odisha)
Bhubaneswar-751013, Odisha, India

Phone: +91-674-2301094
Email: ncds_bbsr@dataone.in
Web: ncds.nic.in
Facebook: @ncdsbhubaneswar
Twitter: @ncds_bbsr
YouTube: NCDS Bhubaneswar
Google Maps: NCDS Bhubaneswar